डी. ओ. सं. ए-42011/1/2013- समन्वय

दिसंबर, 2013

प्रिय महोदय,

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में नवंबर, 2013 हेतु महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/घटनाओं का मासिक सार निम्न प्रकार हैः-

1. **महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामलेः**

क. **दिल्ली मेट्रो रेल निगमः**

दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बोर्ड मीटिंग दिल्ली में 07/11/2013 को आयोजित कि गई थी।

ख. **जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेस-Iः**

"जयपुर मेट्रो फेस-I" पर कैबिनेट नोट पर दिनांक 30/10/2013 को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को स्वीकृति पत्र दिनांक 22/1/2013 जारी किया है।

ग. **कोलकाता पूर्व - पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर परियोजनाः**

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार, इस परियोजना हेतु वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के लिए दिनांक 12/11/2013 को योजना आयोग में सचिव (योजना आयोग) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में, रेल्वे मंत्रालय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान प्रथम पूरक अनुदान मांग के बीत जाने के उपरान्त रु.100 करोड़ की इक्विटी जारी करने तथा रु. 400 करोड़ की जेआईसीए ऋण के लिए पास थ्रू-असिस्टेंस (पीटीए) जारी करने हेतु निर्देश दिए गए थे।

घ. **चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनाः**

चेन्नई मेट्रो रेल का जांच-स्वरूप संचालन दिनांक 06/11/2013 को कोयंबेडु टेस्ट ट्रैक पर प्रारंभ हो चुका है।

ङ. **कोच्ची मेट्रो रेल परियोजनाः**

कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरसीएल) की 15वीं बोर्ड बैठक दिनांक 04/11/2013 को निर्माण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान, एक समझौता ज्ञापन भारत सरकार, केरल राज्य सरकार और कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड के बीच कोच्ची मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हस्ताक्षर किए गया।

च. **बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना फेस-2:**

पीआईबी ने अपनी बैठक दिनांक 25/06/2013 में बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना फेस 2 के प्रस्ताव पर चर्चा की और अनुशंसा की कि प्रस्ताव को कैबिनेट/मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoM) को विचारार्थ भेजा जा सकता है। तदनुसार, मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह हेतु मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (एमआरटीएस) पर मसौदा नोट तैयार किया गया और इसे व्यय

विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के उपरान्त मसौदा कैबिनेट नोट में परिवर्तित किया गया। प्रस्ताव पर मसौदा कैबिनेट नोट को व्यय विभाग को दिनांक 31/10/2013 को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था। इसके प्रत्युत्तर में व्यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18/11/2013 के माध्यम से कुछ अवलोकनों की शर्त पर अपनी सहमति दी। व्यय विभाग के अवलोकनों की जांच की जा रही है।

2. वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2013-14 के दौरान आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 10,000 बसों को स्वीकृति देने हेतु की गई घोषणा का अनुपालनः

   वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण, 2013-14 के दौरान पहाड़ी राज्यों हेतु खासकर आवश्यक अधोसंरचना के साथ 10,000 बसों को स्वीकृति दी थी। शहरी विकास मंत्रालय ने अब तक रु. 2917 करोड़ की कुल आंकलित परियोजना लागत के साथ 6719 बसों की स्वीकृति दी है, जिसमें 10 राज्यों/70 शहरों को शामिल किया गया है।

3. शहरी परिवहन पर नीति सलाहकार परिपत्रों का संकलन (अप्रैल, 2008 से अक्टूबर, 2013) का मुद्रण किया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा मंत्रालयों को जल्द ही प्रसारित किया जाएगा।

4. मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव हेतु व्यापक यातायात एवं परिवहन योजना (सीटीपीपी) के अधीन संदर्भ की शर्तों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को पिंपरी चिंचवाड़ नगरपालिका (पीसीएमसी) द्वारा शहरी परिवहन नियोजन की योजना के अंतर्गत दिनांक 7 नवंबर, 2013 को अवगत कराया गया है।

5. हरियाणा सरकार से रोहतक नगर के लिए प्रस्ताव हेतु व्यापक गतिशीलता नीति (सीएमपी) के अधीन संदर्भ की शर्तों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को शहरी परिवहन नियोजन की योजना के अंतर्गत दिनांक 7 नवंबर, 2013 को अवगत कराया गया है।

6. भद्रावती, गड़ग-बेतागिरी, मन्ड्या, हासन और चिकमंगलूर के लिए स्टेशन अभिगम्यता योजना (एसएपी) और उपनगरीय रेल प्रणाली हेतु शहरी भूमि परिवहन निदेशालय, कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन देने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए संदर्भ की शर्तों को शहरी परिवहन नियोजन की योजना के अंतर्गत दिनांक 12 नवंबर, 2013 को अवगत कराया गया है।

7. महत्वपूर्ण घटनाएं:

- एनबीसीसी द्वारा भुवनेश्वर नगरनिगम के साथ एक समझौता ज्ञापन गड़काना, भुवनेश्वर में 600 राजीव आवास योजना (आरएवाई) आवासों के निर्माण हेतु दिनांक 28/10/2013 को हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना से शहर के झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लाभान्वित होंगे।
- एनबीसीसी द्वारा जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन सब्बावरम, विशाखापट्नम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) हेतु एक नए

परिसर के निर्माण के संबंध में हस्ताक्षर किया गया।

8. **जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के एक घटक शहरी अधोसंरचना और अभिशासन (यूआईजी) के अंतर्गत कार्रवाई के प्रमुख बिन्दुः**

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहर विकास योजनाओं (सीडीपी), समझौता ज्ञापन (एमओए), और केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के संबंध में प्रगति रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में रखी गई है।

9. कैबिनेट/कैबिनेट समिति के निर्णयों पर कार्यान्वयन के विवरणों को पृथक तौर पर भेजा जा रहा है।

10. अन्य क्षेत्रों अर्थात क्र.सं. (iii) और (V) जिसे कैबिनेट सचिव के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1/81/19/2007-सीए. IV दिनांक 24.09.2007 में इंगित के संबंध में प्रतिवेदन करने हेतु कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है

सादर,

भवदीय,

(सुधीर कृष्णा)

संलग्नकः उपरोक्त

श्री ए.के. सेठ,
कैबिनेट सचिव,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः-

1. श्री पुलोक चटर्जी,
   प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,
   साउथ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. शहरी विकास मंत्री के निजी सचिव,
3. राज्यमंत्री (शहरी विकास) के निजी सचिव।
4. एनआईसी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

(सुधीर कृष्णा)

अनुलग्नक-I

माह नवंबर, 2013 हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत हुई प्रगति

मद	अक्टूबर, 2013 तक स्थिति	नवंबर, 2013 के दौरान स्थिति	अब तक की स्थिति
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (31/03/2012 तक अनुमोदित जारी परियोजनाएं)			
i. आयोजित बैठकों की संख्या	**128**	**0**	**128***
ii. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**572(539)**	**0**	**572(539)****
iii. संपन्न परियोजनाओं की संख्या	**217**	**1**	**218**
iv. वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	**20,040.48 करोड़ रुपए**	22.16 रुपए	**20,062.64 करोड़ रुपए**
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठकें (मार्च 2013 से ट्रांजिशन फेस)			
v. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**28**	**0**	**45**
vi. वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	**142.48 करोड़ रुपए**	**0**	**142.48 करोड़ रुपए**
vii. सकल योग			
viii. अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**600(567)**	**0**	**600(584)**
ix. वित्त मंत्रालय द्वारा एसीए जारी किया गया।	**20,182.96 करोड़ रुपए**	**रु. 22.16**	**20,205.21 करोड़ रुपए**

* दिनांक 04/06/07, 13/06/07 एवं 02/06/10 को आयोजित तीन विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर

** अब तक कुल 600 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है (दिनांक 29/09/07 को आयोजित सीएसएमसी की 56वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया)। दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 22/01/10 को आयोजित 81वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 05/03/10 को आयोजित सीएसएमसी की 83वीं बैठक में एक परियोजना को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 21/05/10 को आयोजित 86वीं बैठक में वापस ले लिया गया।

दो परियोजनाओं को सीएसएमसी की दिनांक 20/08/2010 को आयोजित 89वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 12/11/2010 को आयोजित सीएसएमसी की 91वीं बैठक में पांच परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 17/08/2011 को आयोजित 93वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 12/04/2012 को आयोजित बैठक में दिल्ली की पांच परियोजनाओं को जीएनसीटीडी द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 12/07/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 110वीं बैठक में पश्चिम बंगाल की दो परियोजनाओं को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। दिनांक 26/12/2012 को आयोजित सीएसएमसी की 115वीं बैठक में गुजरात की एक परियोजना को राज्य द्वारा छोड़ दिया गया। सीएसएमसी की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 30/10/2012 को आयोजित 113वीं बैठक में वापस ले लिया गया। दिनांक 04/09/2013 को आयोजित सीएसएमसी की 125वीं बैठक में 10 परियोजनाओं को वापस ले लिया गया। एक परियोजना को सीएसएमसी की दिनांक 16/09/2013 को आयोजित 126वीं बैठक में वापस ले लिया गया। इस प्रकार कुल अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या 567 है; जिसमें 28 नई परियोजनाएं शामिल है जिन्हें ट्रांजिशन फेस के दौरान 119वीं सीएसएमसी से 128वीं सीएसएमसी के बीच स्वीकृत किया गया है।

****